

270 ग्राम चरस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 270 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- उ०नि० वीरेन्द्र सरोज मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान नहर की पटरी पर मजार के सामने बहद ग्राम सरम्बा से एक व्यक्ति अविनाश मिश्रा उर्फ बउआ पुत्र श्री सुरेश मिश्रा निवासी ग्राम आवागोझा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से 270 ग्राम नाजायज चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। बरामदा नाजायज चरस के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 274/22 धारा 18/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अविनाश मिश्रा उर्फ बउआ पुत्र श्री सुरेश मिश्रा निवासी ग्राम आवागोझा थाना आसीवन जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

270 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० वीरेन्द्र कुमार सरोज
2. का० अजय चौहान
3. का० विजय कुमार

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल पर्यवेक्षण में वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट द्वारा 02, थाना बीघापुर व थाना अजगैन द्वारा 01-01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना गंगाघाट-

- 1.कुलदीप पुत्र बाबूलाल निवासी 33/195 मिश्रा कालोनी शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 45 वर्ष।
- 2.दुर्गेश पुत्र होरो रैदास निवासी ग्राम टपरा मजरा बहरौला थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तारकर्ता

- 1.उ०नि० श्री रामबली
- 2.उ०नि० श्री लाखन सिंह
- 3.का० विकल कुमार
- 4.का० सतेन्द्र सिंह

थाना बीघापुर-

- 1.रामकेवल पुत्र कृष्ण लाल निवासी ग्राम बरवट थाना बीघापुर जनपद उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारकर्ता-

- 1.उ०नि० श्री रामनरेश
- 2.का० यशपाल यादव

थाना अजगैन-

- 1.धनराज उर्फ गुड्डू पुत्र देवदत्त निवासी रवनहार थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 42 वर्ष।

गिरफ्तारकर्ता-

- 1.उ०नि० श्री सियाराम चौरसिया
- 2.का० शिवम यादव